

7/00/16

प.क्र. /विधिक/22/वि-3/ग्रायासे/2015

विकास आयुक्त कार्यालय
विकास शाखा-3 (विधिक कक्षा)
अनिल मेहरा उपयंत्री
अधीक्षक-श्री अनिल उरकुडे
प्रभारी अधि. का नाम-श्री ए.के. संतोषी

विषय:-रिट पिटीशन क्रमांक 8422/2015 मेसर्स मंजू कन्स्ट्रक्शन कंपनी शिवपुरी
विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये जाने
बाबत।

कृपया विषयांतर्गत अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मंडल ग्वालियर से
प्राप्त क्रमांक 35 दिनांक 06.01.2016 का अवलोकन करना चाहेगे। पत्र के
माध्यम से प्रकरण में प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये जाने का लेख किया गया है।
प्रकरण निविदा से संबंधित है। याचिका की प्रति अप्राप्त है।

प्रकरण में प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास
विभाग, प्रमुख अभियंता, ग्रायांसे विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल एवं
अधीक्षण यंत्री, ग्रायांसे मंडल ग्वालियर को प्रतिवादी बनाया है। प्रकरण में
अधीक्षण यंत्री, ग्रायांसे मंडल ग्वालियर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाना
उचित होगा। अनुमोदनार्थ।

अधीक्षण यंत्री (स्था.)

CE

D/nc

सचिव

X अनुमोदनार्थ

PS PERD

AS

Enc REs

28/1/16

V. K. S.

28/01/16

01/2/16

1/2/16

अनिरुद्ध डी. कपाल
प्रमुख अभियंता (ग्रा.य.से.)

Brajesh Kumar
Secretary
Govt. of M.P.
Panchayat & Rural Dev. Deptt.

Brajesh Kumar
Secretary
Govt. of M.P.
Panchayat & Rural Dev. Deptt.

No. 326/PA/DC & ACS/1
Date 12.2.16

23/5/16-1/16
29-176

No. 12/CE/16
01.02.16

No. 12/16
12-2-16

No. 12/16
12-2-16

No. 951/PA/SEC-ADC/P&RD/201
Bhopal Dated 13/2/16

No. 611/PA/ENC/RES
Dated 12.2.16

7/11/16

पृष्ठ

/विधिक / 22 / वि-3 / ग्रायासे / 2015

विकास आयुक्त कार्यालय
विकास शाखा-३ (विधिक कक्ष)
अनिल मेहरा उपपंजी
अधीक्षक-श्री अनिल उरकुडे
प्रगारी अधि. का नाम-श्री ए.के. संतोषी

विषय:-रिट पिटीशन क्रमांक 8422/2015 मेसर्स मंजू कन्ट्रक्शन कंपनी शिवपुरी
विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये जाने
बाबत।

प्रश्न पुच्छ से:-

N/A के अनुमोदन अनुसार चिट के आवेदन
जारी करने हेतु नएली D-18 शाखा के
पंक्तिर कला पाएगी

~~SELF~~

~~CE~~

D-16

16 उपरोक्तानुसार आदेश प्राप्त किंग हिलार ^{ग्रा. या.} ~~पुनः~~

उपस्थित
पं० एवं भा० वि० वि०

J.C. (Law)

जायक नं. 2848/49

02/03/16

DATE: 10/10/2023

1912/18

Went

19/02/16

19/2/16
(आ. क. खरे)
मुख्य अभियंता
ग्रा. यां. सेवा

24/2

$$\begin{array}{r} 24102 \overline{) 10} \end{array}$$

2623
94-216

01/3/16

5/1/25
1/3/26

प.क्र. / 22 / वि-16 / विधि प्रकोष्ठ / 2016

विषय:- रिट पिटीशन क्र. 8422/2015 मैसर्स मंजू कन्ट्रक्शन कंपनी शिवपुरी विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य ।

पूर्व पृष्ठ से.....

विभागीय आदेश क्र. 2848 दिनांक 01.03.16 द्वारा रिट पिटीशन क्र. 8422/2015 मैसर्स मंजू कन्ट्रक्शन कंपनी शिवपुरी विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य में अधीक्षण यंत्री, ग्रा.यां.से. मण्डल ग्वालियर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रतिरक्षण आदेश जारी करने हेतु नस्ती विधि विभाग को अंकित किया जाना प्रस्तावित है।

संयुक्त आयुक्त (विधि)

उप सचिव
-क एवं आ.वि.वि.

Dy. Secy. (Law)

413/16

28.2.16
4.3.16

No. 118 / 22 / D-16 / वि.प्र. / 2016
DATE 4-3-2016

No. 24 / 22 / D-16 / वि.प्र. / 2016
DATE 8-3-2016

क. 518
दिनांक 21/3/16

4178

विषय:- रिट पिटीशन क्र. 8422/2015 मैसर्स मंजू कन्स्ट्रक्शन कंपनी शिवपुरी विरुद्ध म.प्र.
शासन एवं अन्य ।

पूर्व पृष्ठ से.....

मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

// आदेश //

क्रमांक/2848/22/वि-16/वि.प्र./2016

भोपाल, दिनांक 11/02/2016

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का अधिनियम संख्यक-5) के आदेश सत्ताईस के नियम 1 तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, अधीक्षण यंत्री, ग्रा.यां.से. मण्डल ग्वालियर को मान. उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में रिट पिटीशन क्र. 8422/2015 मैसर्स मंजू कन्ट्रक्शन कंपनी शिवपुरी विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य में म0प्र0 राज्य के लिए तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनो पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिए तथा आवेदन करने और उप संजात होने के लिए नियुक्त करते हैं प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि म.प्र. विधि और विधायी कार्य विभाग, नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरंत पश्चात अन्य बातों के साथ निम्नलिखित कार्य करेगा :-

- 1- प्रभारी अधिकारी, मामले के तथ्यों के आदि में तुरंत ऐसी जांच करेगा जैसा कि आवश्यक हो और याचिका/वाद पत्र में उठाए गए समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनसे कि मामले के संचालन में महाधिवक्ता/शासकीय अभिभावक को सहायता पहुँचाने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि किसी प्रक्रम पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था, तो उसकी राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट की जाएगी।
- 2- समस्त सुसंगत फाईले, दस्तावेज, नियम, अधिसूचना तथा आदेश एकत्रित करेगा।
- 3- वाद पत्र/याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुये और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुये जिससे कि शासकीय अधिवक्ता को सहायता पहुँचने की संभावना है, एक रिपोर्ट तैयार करेगा।
- 4- उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करेगा।
- 5- शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन तैयार कर सकेगा।
- 6- प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागजात/पत्र भेजे :-
 - क. वाद पत्र की एक प्रति के साथ सरकारी की एक रिपोर्ट।
 - ख. प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।
 - ग. उन सभी दस्तावेजों की एक सूची जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल करना और जिनकी रिपोर्ट में उपेक्षा की गई है।
 - घ. मामले के निराकरण के लिए आवश्यक कागजातों/पत्रों की प्रक्रिया इसमें वाद की सुनवाई की तारीख भी वर्णित होना चाहिये।
- 7- मामले की तैयारी और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता को सहयोग करने और मामले, उसके प्रक्रम और प्रगति में नित्य किये गये कर्तव्यों में स्वयं को सदैव ही अवगत रखना।
- 8- जब भी कोई आदेश/निर्देश विनिर्दिष्ट तथा मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है। तब विधि विभाग को सूचित करना और उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।
- 9- यह देखना कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने एवं राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट न हो।

- 10- अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिये इस विभाग को भेजेगा।
- 11- जैसे ही उसे अपना स्थानांतरण आदेश प्राप्त होता है। अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात तब तक प्रभारी बना रहेगा तब तक कि अन्य प्रभारी की नियुक्ति न कर दी जाये।
- 12- प्रभारी अधिकारी मामले तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रकटित/छुपा हुआ न रह जाये।
- 13- न्यायालय द्वारा प्रकरण में अंतिम रूप से आदेश पारित किये जाने पर प्रभारी अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह तत्काल आदेश का अध्ययन कर उन बिन्दुओं को अलग से छांटे जिन पर कार्यवाही की जाकर पालन प्रतिवेदन किस विनिर्दिष्ट दिनांक तक न्यायालय को किया जाना है। तत्पश्चात प्रभारी अधिकारी लिखित में शासन को अथवा उस सक्षम अधिकारी का जहां से आवश्यक कार्यवाही की जाना है। ध्यान आकर्षित करायेंगा एवं निश्चित समयावधि में न्यायालय के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करायेंगा।

(एस.आर. चौधरी)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्र./2849/22/वि-16/वि.प्र./2016
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 01/02/2016

1. अतिरिक्त महाधिवक्ता, खण्डपीठ ग्वालियर, म.प्र. ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग म.प्र. भोपाल।
3. आयुक्त, ग्वालियर संभाग म.प्र.।
4. प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय, म.प्र. भोपाल।
5. प्रभारी अधिकारी, अधीक्षण यंत्री, गा.यां.से. मण्डल ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया प्रकरण में अधिकरण से संपर्क कर उपस्थिति प्रमाण पत्र, प्रगति रिपोर्ट तथा अपनी प्रत्येक भेंट पर शासकीय अधिवक्ता से आगामी कार्यवाही हेतु सलाह करने तथा मामले में प्रगति रिपोर्ट के साथ जवाबदावा प्रस्तुत कर शासन को भेजने हेतु अग्रेषित।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

41149
15-
Express Delivery

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
BENCH AT GWALIOR

W.P.NO.

8422 /2015

PETITIONER :

M/s Manju Construction Company (a registered "C" Class Contractor partnership firm), through its Partner Parmal Singh Raghuvanshi S/o Shri Amar Singh Raghuvanshi, Age-50 years, R/o Village Ukawal, Post and Tehsil Kolaras, Distt. Shivpuri (MP)

Presented on

By

14/11/15
Presentation Assistant

Vs.

RESPONDENTS :


1. The State of Madhya Pradesh, through the Principal Secretary, Department of Rural Development, Vallabh Bhawan, Bhopal (MP)
2. The Engineer-in-Chief, Rural Engineering Services, Development Commissioner's Office, Bhopal (MP)
3. The Superintending Engineer, Rural Engineering Services, Gwalior (MP)

Writ petition under Articles 226/227 of the Constitution of India for issuance of a writ of mandamus and/or certiorari and/or any other appropriate writ, order or direction in the nature of writ thereby doing justice in the matter.


The humble petitioner most respectfully submits the

petition as under:-

1. Particulars of the order, against which, this petition is being made :-



ललित शर्मा
शिवपुरी आगुस्त
शिवपुरी आगुस्त



10

**IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH : Bench at
GWALIOR**

Process Id: 178/2016

WP/8422/2015

From

Deputy Registrar,
High Court of MP
Bench at Gwalior

FOR ADMISSION
Fixed for 08-02-2016
DA- 03
Respondent No. 2
RAD

To,

The Engineer-in-Chief,
Rural Engineering Services,
Development Commissioner's Office, Bhopal,
District- Bhopal (MADHYA PRADESH),

Gwalior 05-01-2016



अधिवक्ता संज्ञी (स्था.)

प्रमुख अधिवक्ता

Sub: Notice to Respondent No. 2 in writ Petition (Mandamus/Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. WP/ 8422/ 2015

JB Gwalior
to be a/c
Sir Madam,

I am directed to inform you that one **M/s Manju Costruction Co. Thr** has filed a petition under Article 226/227 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. **WP/8422/2015**

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before **08-02-2016**. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte.

(Seal of the Court)
Encl: Copy of Petition



AFFIXED AT GWALIOR

Your faithfully

Signature
7-1-16

SECTION OFFICER

Section Officer
High Court Of Madhya Pradesh
Bench Gwalior

R

को देहा

27/1/16